

(घ)

रूप - पत्र 1

(व्यापारी द्वारा रखा जायेगा)

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 का नियम 50 देखिये)

चालान संख्या.....कोषागार/उप-कोषागार.....स्थान.....

स्टेट/रिजर्व बैंक आफ इंडिया.....में नकद भुगतान की गयी धनराशि का चालान

विप्रेषक	द्वारा भरा जायेगा	विभागीय अधिकारी या कोषागार द्वारा भरा जायेगा
----------	-------------------	--

किसके द्वारा	उस व्यक्ति का	विप्रेषित धन और	धनराशि	लेखाशीर्षक बैंक का आदेश
दिया गया	नाम या पदनाम	प्राधिकारी का	यदि	
	और पता जिसकी	कोई हो)पूरा		
	ओर से धनराशि	विवरण		
	का भुगतान किया			
	जाय।			

क- केन्द्रीय विक्रय कर 800	0040-बिक्री	सही प्राप्त
ख- राज्य व्यापार कर	व्यापार आदि पर कर	करो। और रसीद
1. पंजीयन	उपशीर्षक	दो।
2. कर की उगाही	110-व्यापार कर(4)	रूपये का
3. अधिभार	व्यापार कर, वाणिज्य	भुगतान किये
4. समाधान शुल्क	कर, केन्द्रीय विक्रय कर	जाने के लिये
5. ब्याज	आदि।	आदेश देने
6. अन्य प्रतियां		वाले अधिकारी
		का हस्ताक्षर
		और पद नाम

योग

(शब्दों में) रूपया	सरकार के किसी अधिकारी के माध्यम से बैंक को विप्रेषण करने की स्थिति में ही उपयोग में लाया जायगा।
--------------------	---

भुगतान प्राप्त किया	दिनांक
(शब्दों में) रूपया	
कोषपाल	लेखाकार
	कोषाधिकारी/एजेन्ट

टिप्पणी - (1) कोषागार में भुगतान की स्थिति में 500 रूपये से कम की धनराशि के लिए रसीद पर कोषाधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, केवल लेखाकार और कोषपाल का हस्ताक्षर अपेक्षित है।
 (2) दो गई धनराशि का विवरण पीछे दिया जाना चाहिए।

विवरण	धनराशि
	रूपया
	पैसा

सिक्का.....	
नोट (व्योरे सहित).....	
चेक (व्योरे सहित).....	
	योग